

समक्ष : न्यायालय श्रीमान् सहाय्य महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

आ-598-II-16 रिचीजन नं.-

ममता केवट पत्नी श्री गोरे केवट, उम्र लगभग 40 वर्ष,
पेशा- मजदूरी, निवासी-ग्राम सेमरिया/कोटरा मोहल्ला,
तहसील- सिमरिया, जिला-रीवा म.प्र.

आवेदिका/निगरानी

ब न म
=====

- 1- मुन्ना केवट तनय श्यामलाल केवट,
निवासी- ग्राम सेमरिया/कोटरा मोहल्ला,
तहसील सिमरिया, जिला रीवा म.प्र.
- 2- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत सिमरिया,
जिला-रीवा म.प्र.

अनावेदकगण/गैर निगरानी

निगरानी विरुद्ध आदेश माननीय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के निगरानी प्रकरण क्रमांक-03/निग./2014-15 आदेश दिनांक 26/11/2015 जिनके न्यायालय में माननीय अपर कलेक्टर जिला रीवा के निगरानी प्रकरण क्रमांक 50/बी-121/2013-14 पारित आदेश दिनांक 16/01/2015 के विरुद्ध पेश की गई है. क्योंकि माननीय अपर कलेक्टर रीवा म.प्र. ने अपने अपीलीय प्रकरण क्रमांक 50/बी-121/2013-14 आदेश दिनांक 16/01/2015 को नगर पंचायत सेमरिया द्वारा पारित प्रस्ताव क्र. 1, दिनांक 31/08/2015 को आवेदिका के पक्ष में 10 वर्षीय लीज/पट्टा को निरस्त किया है।

निगरानी अंतर्गत धारा 331 मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 एवं सहायित धारा 151 सी.पी. सं.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार है :-

18-2-16
50


18-2-16
K. K. Advocate

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.598-II/16

जिला-रीवा

ममता केवट/मुन्ना केवट

| (1) | (2) | (3) |
|----------|---|-----|
| 24.05.17 | <ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्री अवधेश सिंह एडवोकेट उपस्थित।4. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।5. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> | |